न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला –

नानूराम आदि बनाम इन्द्रसिंह आदि

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र द.धा. 136 एल मु.नं. 129 वर्ष

दिनांक	आज्ञा - पत्र
	अत: प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है किन्तु पृथक से मिसलबन्द शामिल पत्रावली किया जावे पत्रावली तहसीलदार को भिजवाई जावे पत्रावली फिर पेश हो वा तामील उपस्थित दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद
जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.03 15:07:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः– प्रार्थना–पत्र/129/2015

01. नानूराम पुत्र धन्नाराम
02. रामचन्द्र (अविवाहित फौत) नाम हजफ
03. धन्नी बेवा लच्छाराम
04. श्योपाल पुत्र लच्छाराम
    समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मुकन्दपुरा तहसील धोद जिला सीकर

– आवेदकगण/प्रार्थीगण

बनाम

01. इन्द्र सिंह पुत्र कान सिंह
02. सुशीला कंवर पुत्री स्व. कान सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासिनीगण ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर
03. विरेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह
04. गणपति बेवा रामसिंह
    समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रामबक्सपुरा तहसील धोद जिला सीकर
05. केशर पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी मुकन्दपुरा तहसील धोद जिला सीकर
06. सोनी देवी पुत्री स्व. गोरधन
07. विरेन्द्र पुत्र स्व. रामसिंह दत्तक पुत्र गोरधन
08. गणपति पत्नी स्व. रामसिंह दत्तक पुत्र गोरधन
09. मूंगी देवी पत्नी स्व. रतनाराम
10. महावीर प्रसाद पुत्र स्व. रतनाराम
11. झाबरमल पुत्र स्व. रतनाराम
12. सेवा (फौत)
    (12/1) ओमप्रकाश पुत्र स्व. सेवा
    (12/2) बलवीर पुत्र स्व. सेवा
    (12/3) रणजीत पुत्र स्व. सेवा
13. गुमानाराम पुत्र स्व. अर्जन
14. प्रमाराम पुत्र स्व. अर्जुन
15. माना देवी पत्नि स्व. अर्जुन
16. गुमानाराम पुत्र स्व. गोरधन
17. झाबरमल पुत्र स्व. गोरधन
18. अर्जुनराम पुत्र स्व. गोरधन
19. दौलाराम (फौत)
    (19/1) छोटी देवी पत्नी स्व. दौलाराम
    (19/2) दुर्गा प्रसाद पुत्र स्व. दौलाराम
    (19/3) दीपिका पुत्री स्व. दौलाराम
    (19/4) सुमन पुत्री स्व. दौलाराम
20. चूंकी देवी पत्नी स्व. गोर्वधन
21. बलवीर पुत्र स्व. रामेश्वर
22. झूमरमल पुत्र स्व. हरफूल
23. भंवरी देवी बेवा स्व. हरफूल

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.03 15:07:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

. सोहन पुत्र स्व. बोदूराम

. भंवरलाल पुत्र भानाराम

. पेमाराम पुत्र भानाराम

. मोहनी देवी पत्नी स्व. भानाराम

. गणपतराम (फौत)

(28/1) किशोर पुत्र स्व. गणपतराम

(28/2) ओमप्रकाश पुत्र स्व. गणपतराम

(28/3) रतनी पुत्री स्व. गणपतराम

9. चौखाराम पुत्र देवा

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रामबक्सपुरा तहसील धोद जिला सीकर

0. सांवरमल पुत्र स्व. लच्छाराम जाति जाट निवासी ग्राम मुकन्दपुरा तहसील धोद जिला सीकर

1. हल्का पटवारी, पेवा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद जिला सीकर

2. भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धोद तहसील धोद जिला सीकर

3. तहसीलदार, धोद जिला सीकर प्रतिनिधि भूमिधारक राजस्थान सरकार

4. जगदीश पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी ग्राम मुकन्दपुरा तहसील धोद जिला सीकर

5. धर्मेन्द्र पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी दीपसर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू

6. मैना देवी पत्नी सांवरमल जाति जाट निवासी पेवा तहसील धोद जिला सीकर

– अनावेदकगण/अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956
आवेदन बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थितिः–

01. श्री प्रभातीलाल, वकील आवेदकगण/प्रार्थीगण सं. 1, 3 व 4 की ओर से

02. श्री प्रदीप कालेर, वकील आवेदक/प्रार्थी सं. 1 की ओर से

–:आदेशः–

दिनांक– 28.11.2025

वकील आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "ग्राम पेवा नवसृजित तहसील धोद पुरानी तहसील सीकर जिला सीकर की तन में कृषि भूमि वर्तमान खसरा सं. 190 रकबा 1.9900 हेक्टेयर वर्तमान खसरा सं. 842/191 रकबा 1.5840 हेक्टेयर व खसरा सं. 841/191 रकबा 0.0260 हेक्टेयर के मूल खसरा सं. 191 रकबा 1.6100 हेक्टेयर, खसरा सं. 189 रकबा 1.4800 हेक्टेयर, खसरा सं. 796/188 रकबा 0.2600 हेक्टेयर व खसरा सं. 795/188 रकबा 1.7000 हेक्टेयर के मूल खसरा सं. 188 रकबा 1.9600 हेक्टेयर, खसरा सं. 181 रकबा 3.7100 हेक्टेयर, खसरा सं. 800/187 रकबा 3.5900 हेक्टेयर, 799/187 रकबा 2.6900 हेक्टेयर के मूल खसरा सं. 187 रकबा 6.2800 हेक्टेयर एवं खसरा सं. 186 रकबा 3.4900 हेक्टेयर अवस्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमियां खसरा सं. 190, 191, 188, 187, 181, 189 पुराना खसरा सं. 250/1,250/2. 250/3, 250/4 एवं खसरा सं. 248 व 249 से बने है तथा खसरा सं. 186 रकबा 3.4900 हेक्टेयर पुराना खसरा सं. 244, 250/1, 2[illegible]0/3 को मिलाकर अभिनव भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान नये खसरा न[illegible] पुराना नक्शा के विपरीत वर्तमान खसरा नम्बरान का नया नक्शा भू–प्रबंध विभाग द्वारा [illegible]या गया एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भी अशुद्धिया की गई उक्त दोनों ही कार्यवाही बिना किसी सक्षम आदेश के भू–प्रबंध विभाग द्वारा भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान की गई है। जो कि [illegible]कल मिस्टेक की श्रेणी में आती है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है– "ग्राम पेवा नवसृजित तहसील धोद पुरानी तहसील सीकर जिला सीकर की तन में कृषि भूमि पुराना खसरा सं. 250 रकबा 66 बीघा 13 बिस्वा अवस्थित

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.03 16:07:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रही है। उक्त कृषि भूमि में से 21 बीघा पक्की भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व आवेदकगण का पूर्वज धन्नाराम पुत्र खेमाराम काश्त किया करता था लगान जागीरदार को अदा करता था। इन कृषि भूमियों का जागीरदार बेरिसाल सिंह पुत्र दुर्जन सिंह निवासी धोद था तथा इस भूमि में 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि कन्हैयालाल महाजन काश्त करता था एवं 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि एवं 35 बीघा 4 बिस्वा भूमि काना पुत्र उदा व बोदू पुत्र नाथा की खुदकाश्त भूमि रही है। जिस कारण मूल खसरा सं. 250 के विभाजित कुल 4 खसरा नम्बरान 250/1, 250/2, 250/3, 250/4 दर्ज किये गये व इन कृषि भूमियों की प्रथम जमाबन्दी संवत 2013 से 2016 व 2017 से 2020 में निम्न प्रकार से खातेदारी दर्ज रही है–

काश्तकार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
धन्ना पुत्र खेमा जाति जाट निवासी मुकन्दपुरा	250/2	21 बीघा
काना पुत्र उदा, बोदू पुत्र नाथा जाति जाट निवासीगण रामबक्सपुरा	250/1	35 बीघा 4 बिस्वा
	250/3	2 बीघा 12 बिस्वा
कन्हैयालाल पुत्र चुन्नीलाल जाति महाजन निवासी धोद	250/4	7 बीघा 17 बिस्वा

इस प्रकार से आवेदकगण के पूर्वज खसरा सं. 250/2 के खातेदार काश्तकार काबिज निरन्तर रहे है।

उक्तानुसार अंकित राजस्व रिकार्ड के पश्चात बनाई गई जमाबन्दी संवत् 2021 से 2024 में आवेदकगण के पूर्वज धन्ना के स्थान पर जीवण पुत्र धन्ना अंकित करके रकबा 18 बीघा अंकित कर दिया व 3 बीघा भूमि इस खसरा नम्बर की बोदू पुत्र नाथा के नाम से अंकित की गई व इसी जमाबन्दी में खसरा सं. 250/1 में से 5 बीघा भूमि भी बोदूराम के नाम से दर्ज की गई। उसके पश्चात् जमाबन्दी संवत 2025 से 2028 में बिना किसी सक्षम आदेश के खसरा सं. 250/2 को 250/3 अंकित करके 18 बीघा क्षेत्रफल दर्ज कर दिया व खातेदारी जीवण पुत्र धन्ना के नाम से अंकित की गई एवं जो खसरा सं. 250/3 था। उक्त खसरा सं. 250/3 को इस जमाबन्दी में 250/2 अंकित करके रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी बेरीसाल सिंह पुत्र दुर्जन सिंह के नाम से अंकित की गई उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही बिना किसी सक्षम आदेश के तत्कालीन पटवारी द्वारा की जाकर राजस्व रिकार्ड को अशुद्ध कर दिया व सम्वत् 2025 से 2028 में ही खसरा सं. 250/4 रकबा 3 बीघा अलग से दर्ज किया जाकर बोदू पुत्र नाथा की खातेदारी में दर्ज कर दिया व एक नया खसरा सं. 250/6 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा अंकित करके कन्हैयालाल पुत्र चुन्नीलाल महाजन की खातेदारी में दर्ज किया गया। जबकि उक्त 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि के खसरा सं. 250/6 नहीं होकर 250/4 थे। इस प्रकार से उक्त जमाबन्दी में बिना किसी सक्षम आदेश के 250/6 खसरा नम्बर दर्ज किया जाना क्लेरीकल मिस्टेक रही है। इसके पश्चात् बनाई गई जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2032 में पुनः कन्हैयालाल पुत्र चुन्नीलाल की खातेदारी की भूमि खसरा सं. 250/4 को खसरा सं. 250/6 एवं आवेदकगण के पूर्वजो की खातेदारी की भूमि खसरा सं. 250/2 को 250/3 अंकित किया गया व 2 बीघा 12 बीघा बिस्वा के खसरा सं. 250/3 को बिना किसी सक्षम आदेश के खसरा सं. 250/5 अंकित करके नया खसरा नम्बर और बना दिया। इस प्रकार से मूल खसरा सं. 250 के विभाजित खसरा सं. 250/1, 250/2, 250/3, 250/4 के स्थान पर कुल 6 खसरा नम्बर अंकित कर दिये व क्षेत्रफल गलत अंकित कर दिया। जबकि आवेदकगण के पूर्वजों का खसरा सं. 250/2 की 18 बीघा भूमि पर एवं कन्हैयालाल महाजन खसरा सं. 250/4 की 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर काबिज थे व शेष खसरा सं. 250/1 व 250/3 की भूमि काना पुत्र उदा व बोदू पुत्र नाथा की खातेदारी में दर्ज थी जिसमें से 250/3 रकबा 2 बीघा 12 [illegible] खातेदारी बेरिसाल सिंह पुत्र दुर्जन सिंह के नाम से दर्ज करके उक्त भूमि को [illegible] 250/5 अंकित करके सम्पूर्ण रिकार्ड को अशुद्ध कर दिया जबकि खसरा सं. 250/1 ता 250 [illegible] के काबिज खातेदार एवं उनके वारिसान जमाबन्दी संवत 2013 से 2020 में हुई प्रविष्टियों के अनुसार ही निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से काबिज चले आ रहे है। जमाबन्दी संवत् 2020 के पश्चात् बनाई गई जमाबन्दियों में संवत् 2036 तक बिना किसी सक्षम आदेश परिवर्तित करने का क्रम चलता रहा। उसके पश्चात पुरानी तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.03 16:07:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

सीकर की भू–प्रबंध कार्यवाही प्रारम्भ हो गई, जिसके तहत भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों ने वर्तमान खसरा सं. व पुराना खसरा नम्बरान का मिलान क्षेत्रफल तैयार किया उसमें और भी आगे बढ़कर अशुद्धियां की गई व निम्न प्रकार से मिलान क्षेत्रफल तैयार किया गया–

हाल		साबिक	
खसरा सं.	क्षेत्रफल	खसरा सं.	क्षेत्रफल
181	3.7100 हेक्टेयर	250/1 मिन	———
186	3.4900 हेक्टेयर	444 मिन	———
		250/2 मिन	8 बीघा
		250/4 मिन	———
187	6.2800 हेक्टेयर	250/1 मिन	30 बीघा 4 बिस्वा
		248	2 बीघा 4 बिस्वा
		249	6 बीघा 17 बिस्वा
188	1.8600 हेक्टेयर	250/3 मिन	18 बीघा
191	1.6100 हेक्टेयर	250/3 मिन	———
190	1.9900 हेक्टेयर	250/3 मिन	———
189	1.4800 हेक्टेयर	250/5	2 बीघा 12 बिस्वा

इस प्रकार से भू–प्रबंध विभाग द्वारा जो मिलान क्षेत्रफल तैयार किया गया ना ही पुराना खसरा नम्बर सही अंकित किये गये ना ही पुराना खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर बनाते समय क्षेत्रफल को बीघा से हेक्टेयर में परिवर्तित करते समय सही क्षेत्रफल अंकित किया अर्थात् खसरा सं. 186 में अंकित पुराना खसरा सं. 444 नहीं होकर पुराना खसरा सं. 244 है।

आवेदकगण एवं अनावेदकगण के कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि का सही मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबंध विभाग द्वारा तैयार किया जाता तो वह निम्न प्रकार से बनता–

हाल		साबिक	
खसरा सं.	क्षेत्रफल	खसरा सं.	क्षेत्रफल
190	1.9900 हेक्टेयर	250/4	7 बीघा 17 बिस्वा
191	1.6100 हेक्टेयर	250/1	35 बीघा 4 बिस्वा
188	1.9600 हेक्टेयर	250/1	———
187	6.2800 हेक्टेयर	250/1	———
		248	2 बीघा 4 बिस्वा
		249	6 बीघा 17 बिस्वा
189	1.4800 हेक्टेयर	250/2	21 बीघा
181	3.7100 हेक्टेयर	250/2	———
186	3.4900 हेक्टेयर	248	———
		250/2	———
		250/1	———
		250/3	2 बीघा 12 बिस्वा

आवेदकगण एवं अनावेदक सं. 30 ने अपने कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि पुराना खसरा सं. 250/2 के वर्तमान खसरा सं. 189 रकबा 1.4800 हेक्टेयर [illegible] राजस्व रिकार्ड में गलत मिलान क्षेत्रफल में दर्ज किये गये, अस्तित्वहीन पुराना खसरा सं. [illegible]/5 [illegible] रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा को, भू–प्रबंध विभाग ने खसरा पत्रक एवं मिलान क्षेत्रफल में अंकित कर [illegible] राजस्व रिकार्ड में कानसिंह पुत्र बेरीसाल सिंह का नाम दर्ज करके आवेदकगण एवं अनावेदक [illegible] के पूर्वजों की भूमि पुराना खसरा सं. 250/2 के स्थान पर दर्ज करके राजस्व रिकार्ड में [illegible] को भी परिवर्तित कर दिया, जिसका भू–प्रबंध विभाग को कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। उक्त कानसिंह पुत्र बेरीसाल सिंह के स्वर्गवास के पश्चात उत्तराधिकार के नामान्तरकरण सं. 280 के द्वारा खसरा सं. 189 की भूमि के

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.12.03 13:07:52 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रिकार्ड में कानसिंह के वारिसान गोपाल सिंह व इन्द्र सिंह पुत्रगण कानसिंह, नारायण कंवर बेवा कानसिंह का नाम दर्ज किया। जबकि खसरा सं. 189 की भूमि पर ना तो कभी इनके पूर्वज बेरीसाल सिंह को खातेदारी अधिकार प्राप्त थे। ना ही कानसिंह को कभी खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। ना ही मूल खसरा सं. 250 का खसरा सं. 250/5 कभी भाग (अंश) रहा है। ना ही कभी इनका कब्जा रहा है। बल्कि इस कृषि भूमि खसरा सं. 189 में आवेदक सं. 1 व 2 के पिता द्वारा निर्मित पक्के आवासीय मकान है, जिनमें आवेदकगण मय परिवार आवास निवास करते है तथा आवेदकगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि पुराना खसरा सं. 250/2 के दूसरे नये खसरा सं. 181 है, जिसके मिलान क्षेत्रफल में भी खसरा सं. 250/3 गलत रूप से अंकित किये गये। उक्त खसरा सं. 181 में आवेदकगण द्वारा निर्मित कुआ व कृषि विद्युत कनेक्शन है एवं कृषि भूमि की सिंचाई के लिए खसरा सं. 181 से खसरा सं. 189 में भूमिगत पाईप लाईन डाल रखी है, जिससे आवेदकगण सिंचाई करते है। परन्तु खसरा सं. 189 की भूमि के राजस्व रिकार्ड में सहवन से कानसिंह व उनके वारिसान का नाम दर्ज होने की आवेदकगण एवं अनावेदक सं. 30 को जानकारी हुई तब आवेदकगण एवं अनावेदक सं. 30 ने न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) सीकर के समक्ष वाद सं. 669/1999 बउनवानी नानूराम बनाम गोपाल सिंह आदि प्रस्तुत किया था, जिसमें दिनांक 17.09.2010 को निर्णय पारित करके प्रकरण को राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती योग्य मानकर निम्न आदेश पारित किया कि— "प्रथमतयाः पुराना खसरा सं. 250 एक वृहद भूखण्ड था, जिसके अनेक मिन अथवा बट्टा नम्बर थे, जिनको नये खसरा नम्बरान में तब्दील करते समय कतिपय विसंगतिया तथा त्रुटिया हुई है। परिणामतः न केवल राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में दुरूस्ती की दरकार है। अपितु मूल नक्शें व मिलान क्षेत्रफल आदि में भी दुरूस्ती की दरकार है तथा जो कि इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। वरन यह **Land Record Office** के क्षेत्राधिकार में है तथा चूंकि रिकार्ड संधारण एवं नक्शे व मौके में एकरूपता कायम रखना **Land Holder** का दायित्व है। लिहाजा प्रकरण **Land Holder** (तहसीलदार) को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि वह पुराने व नये रिकार्ड का तुलनात्मक परीक्षण करावे तथा मौके से मिलान करवावे व त्रुटि पाई जावें तो प्रकरण **Land Record Office** को **Suo-moto** प्रस्तुत करे।" परन्तु **Land Holder** महोदय ने ना तो मौका व राजस्व रिकार्ड की जांच की और ना ही प्रकरण को **Suo-moto Land Record Office** (उपखण्ड अधिकारी) को प्रेषित किया। जिस कारण राजस्व रिकार्ड की विसंगतियो का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त कानसिंह के वारिसान में से गोपाल सिंह की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण सं. 1091 के द्वारा गोपाल सिंह के वारिसान ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाया व नारायण कंवर बेवा कानसिंह की मृत्यु के पश्चात इसी नामान्तरकरण से नारायण कंवर के वारिसान ने अपना नाम दर्ज करवाया। तत्पश्चात् दिनांक 05.02.2014 को इन्द्रसिह पुत्र कानसिंह के पक्ष में विक्रय—पत्र पंजीकृत करवा दिया, जिसका नामान्तरकरण सं. 1121 दिनांक 05.02.2014 को स्वीकृत हुआ। जबकि इस भूमि से बेरीसालसिंह से लेकर वर्तमान में दर्ज अनावेदक सं. 1 व 2 तक किसी का भी ना तो कब्जा रहा है और ना ही इस भूमि के कभी खातेदार रहे है। परन्तु आगे से आगे अवैध कार्यवाही करके लैण्ड होल्डर द्वारा रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए प्रकरण लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर को प्रस्तुत नहीं करने का नाजायज फायदा उठाकर आगे से आगे प्रकरण में पेचीदगिया बढ़ा रहे है, जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है तथा प्रकरण रिकार्ड दुरूस्ती का है। इसलिए **Land Holder** द्वारा दिनांक 17.05.2010 के निर्णय के अनुसार प्रकरण को **Land Holder** द्वारा माननीय **Land Record Officer** के समक्ष **Suo-moto** प्रस्तुत नहीं करने के कारण आवेदकगण [illegible] यह आवेदन माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। क्योंकि [illegible] हुई विसंगतियो से प्रभावित व्यक्ति है। इसलिए आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाकर **Land Holder** से रिकार्ड व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करके खसरा सं. 189 पुराना खसरा सं. 250/2 का भाग होने के कारण आवेदकगण एवं अनावेदक सं. 30 का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज किया जाना व अनावेदक सं. 1 व 2 का नाम हजब किया जाना

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर जिला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.03 15:07:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थनीय है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान की गई विसंगतियों व इससे पूर्व की जमाबन्दियों में की गई विसंगतियां दुरूस्ती के योग्य होना नियमित वाद में निर्णित किया गया तथा भू–प्रबंध विभाग ने मिलान क्षेत्रफल व नया नक्शा बनाया। उक्त मिलान क्षेत्रफल व नया नक्शा पूर्व के नक्शा के अनुसार कभी भी नहीं रहा। बल्कि आवेदकगण द्वारा पुराना खसरा सं. 250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 249, 248, 244 के वर्तमान खसरा नम्बरान की सही स्थिति का ब्ल्यू प्रिंट नक्शा माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष रिकार्ड दुरूस्ती के आवेदन के साथ में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिनमें नये खसरा नम्बर एवं पुराने खसरा नम्बरों का अंकन किया गया। उक्त ब्ल्यू प्रिंट नक्शा आवेदन का ही भाग है तथा राजस्व रिकार्ड में हुई अशुद्धियों को शुद्ध करने का माननीय न्यायालय हाजा को **Land Record Office** की हैसियत से क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अनावेदक सं. 30 का हित भी आवेदकगण के साथ ही निहित है। परन्तु वह आज यहां नहीं होने के कारण उसे परफोरमा अनावेदक बनाया गया है एवं खसरा सं. 189 वाके ग्राम पेवा आवेदकगण व अनावेदक सं. 30 के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है, जिसके राजस्व रिकॉर्ड में अनावेदकगण सं. 1 व 2 का गलत रूप से नाम दर्ज होने व अनावेदकगण सं. 1 व 2 द्वारा जबरन कब्जा करने की दिनांक 16.05.2025 को धमकी देने के कारण आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अनावेदक सं. 3 ता 29 रिकार्ड दुरूस्ती के वर्णित अन्य कृषि भूमियों के वर्तमान में खातेदारान है, जिस कारण उन्हें अनावेदकगण के रूप में पक्षकार बनाया गया है। आवेदन माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का होने से उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाकर आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया बल्यू प्रिंट नक्शा एवं आवेदन की मद सं. 6 में वर्णित प्रस्तावित मिलान क्षेत्रफल के अनुसार मिलान क्षेत्रफल को दुरुस्त करके, इसी अनुसार पुराना नक्शा के अनुसार वर्तमान नक्शा को दुरूस्त करने एवं खसरा सं. 189 रकबा 1.4800 हेक्टेयर वाके ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड से अनावेदकगण सं. 1 व 2 के फुट स्टेप पर आये अप्रार्थीगण सं. 34, 35, 36 का नाम हजब किया जाकर राजस्व रिकार्ड में आवेदक सं. 3, 4 व अनावेदक सं. 30 का समान अंश में नाम दर्ज करने का तहसीलदार धोद जिला सीकर को आदेश प्रदान करने की कृपा करें।''

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर अप्रार्थी सं. 33 तहसीलदार, धोद को मौका तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया। शेष अप्रार्थीगण सं. 1 ता 11, 12/1 ता 12/3, 13 ता 27, 28/1 ता 28/3, 29 ता 32 व 34 ता 36 पर विधिवत तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से पूर्ण हो चुकी है। उक्त के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 33 तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./24/2607 दिनांक 11.09.2025 के द्वारा मौका तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकील आवेदकगण/प्रार्थीगण की ओर से आवेदन अ.आदेश 6 नियम 17 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत आवेदन में संशोधन किया जाने पेश किया, जिसके संबंध में बहस सुनवाई की जाकर उक्त आवेदन को युक्तियुक्त होने से स्वीकार किया गया, पालना में हस्तगत आवेदन की अनुतोष की मद में लाल स्याही से संशोधन किया गया।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील आवेदकगण ने अपने आवेदन के कथनों को दोहराकर मुताबिक तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आवेदकगण के आवेदन को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली [illegible] किया गया। पत्रावली में संलग्न वर्णित राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियो, उपलब्ध दस्तावेज [illegible] तथा तहसीलदार, धोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय पटवार हल्का रिपोर्ट [illegible] किया। प्रकरण ने आवेदकगण ने वर्णित खसरान सं. 190, 191, 188, 187, 189, 18[illegible], 186 के संबंध में एक ब्ल्यू प्रिंट तथा हस्तगत आवेदन में वर्णित मद सं. 6 में दर्शित मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दुरूस्त कर उसी अनुरूप पुराने नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शा को दुरूस्त करने [illegible] खसरा सं. 189 रकबा 1.4800 हेक्टेयर वाके ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड से अनावेदकगण सं. 1 व 2 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.03 15:07:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

फुट स्टेप पर आये अप्रार्थीगण सं. 34, 35, 36 का नाम हजब किया जाकर राजस्व रिकार्ड में आवेदक सं. 3, 4 व अनावेदक सं. 30 का समान अंश में नाम दर्ज करने का मुख्य अनुतोष चाहा है। उक्त अनुतोष के संबंध में तहसीलदार से प्राप्त विस्तृत रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि प्रार्थी के अनुतोष के अनुरूप ही उक्त रिपोर्ट प्रस्तावित की गई है। समग्र प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि वर्णित आराजियात के संबंध में नक्शा दुरूस्ती व खातेदारी दुरूस्ती की जानी है। अतः प्रार्थी का आवेदन रिपोर्ट तहसीलदार, धोद मय पटवार हल्का रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जाकर रिपोर्ट तहसीलदार, धोद के अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./24/2607 दिनांक 11.09.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के साथ संलग्न पटवार हल्का रिपोर्ट पृष्ठ सं. 1 ता 3 के आधार पर आवेदकगण/प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर खसरान सं. 190, 191, 188, 187, 189, 181 व 186 के संबंध में प्रस्तुत ब्ल्यू प्रिंट तथा हस्तगत आवेदन में वर्णित मद सं. 6 में दर्शित मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दुरूस्त कर उसी अनुरूप पुराने नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शा राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस (ऑनलाईन व ऑफलाईन) दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, जिसमें तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न पटवार हल्का रिपोर्ट के पृष्ठ सं. 1 ता 3 में वर्णित खसरा सं. 181 व 189 का प्रस्तावित रकबा (पृष्ठ सं. 2 में वर्णित सारणी व पृष्ठ सं. 3 में प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुरूप) के अनुसार रकबा दुरूस्त कर उसी अनुरूप ऑनलाईन व ऑफलाईन नक्शे में तरमीम दुरूस्त किया जावें तथा उक्तानुसार अमल दरामद की कार्यवाही के बाद खसरा सं. 189 रकबा 0.6600 हेक्टेयर वाके ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अनावेदकगण/अप्रार्थीगण सं. 34 ता 36 का हिस्सा व नाम हजब किया जाकर उक्त हिस्सा आवेदकगण/प्रार्थीगण सं. 3, 4 व तथा अनावेदक/अप्रार्थी सं. 30 के नाम समान अंश में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./24/2607 दिनांक 11.09.2025 से प्राप्त रिपोर्ट मय संलग्न पटवार हल्का रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.03 15:07:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner